

राजस्थान सरकार

निदेशालय स्थानीय निकाय, राज० जयपुर

जी-३, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर

(Phone & Fax-2222403/2223239 Web-www.lsgraj.org Email ID-dlbrajasthan@gmail.com)

क्रमांक:एफ.55()पीए/सीई/डीएलबी/डब्ल्यूएस(सामान्य)/2020/

दिनांक:

43187- 43196

२१.८.२०

आयुक्त/अधिशासी अधिकारी,
नगर परिषद/पालिका,
जैसलमेर, बूंदी, नागौर, गंगानगर
करौली, तथागढ़, नाथद्वारा, नोखा एवं चौमूं

विषय:—शहरी जलापूर्ति के अन्तर्गत सभी श्रेणी के जल सम्बन्ध पंजीकृत नलकार (Plumber) द्वारा ही करवाये जाने बाबत।

संदर्भ:—जन०स्वा०अभि०विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र संख्या एफ.6(10) अमुआ(श) /पीएचईडी/परिपत्र/20-21/20777-821 दिनांक 17.08.2020

प्रायः यह देखा जाता है कि शहरी निकायों द्वारा संधारित एवं संचालित जलापूर्ति योजनाओं में घरेलू/अघरेलू/आद्यौगिक श्रेणी के जल सम्बन्ध उपभोक्ताओं द्वारा अनाधिकृत एवं अप्रशिक्षित नलकारों से करवाये जाते हैं, जिससे विभागीय पाईप लाईन क्षतिग्रस्त होती है एवं निर्धारित मापदण्ड के अनुसार जल सम्बन्ध नहीं किये जाने से "गैर राजस्व जल (NRW) में बढ़ोतरी हुई है तथा जल राजस्व संग्रहण में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया है।

अतः उपरोक्त सन्दर्भित राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र में दिये गये दिशा-निर्देशों/ तकनीकी मापदण्डों के अनुसार निर्देशित किया जाता है कि आप के अधीन शहरी जलापूर्ति योजना के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले सभी श्रेणी के जल सम्बन्ध पंजीकृत नलकार द्वारा जारी करवाया जाना सुनिश्चित करें। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि नगर निकाय द्वारा संचालित एवं संधारित शहरी जल योजना में जल सम्बन्ध जारी करने हेतु नलकार का अलग से पंजीकरण ना करते हुये जन०स्वा०अभि० विभाग के सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में पंजीकृत नलकार के द्वारा ही जल सम्बन्ध जारी करवाये जावें।

उपरोक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।

संलग्न:—उपरोक्तानुसार

(दीपक नंदी)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक:एफ.55()पीए/सीई/डीएलबी/डब्ल्यूएस(सामान्य)/2019-20/
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

43197- 43227 दिनांक: २१.८.२०

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
- निजी सचिव, शासन सचिव, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
- निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
- जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बूंदी, जयपुर, नागौर, पाली, करौली एवं राजसमंद।
- मुख्य अभियन्ता, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
- उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/भरतपुर/अजमेर।
- आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, नगर परिषद/पालिका, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बूंदी, नागौर, करौली, नाथद्वारा, नोखा, तथागढ़ एवं चौमूं।
- जन संपर्क अधिकारी, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
- प्रोग्रामर (आई.टी. प्रकोष्ठ), निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- सुरक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)

मुख्य अभियन्ता

राजस्थान सरकार
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

क्रमांक:एफ.6(10)अमुआ(श) / पीएवईडी / परिपत्र / 20-21 / 20797-821 दिनांक: 17/08/2020

—:: परिपत्र ::—

राजस्थान जल प्रदाय नियम 1967 के अनुसार राज्य में सभी श्रेणी के जल सम्बन्ध दिनांक 04.01.2008 से पूर्व, पंजीकृत नलकार (Plumber) द्वारा ही जारी किए जाते रहे थे। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.01.2008 से घरेलू श्रेणी के जल सम्बन्ध जारी करने के लिए पंजीकृत नलकार की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया था। राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा अनाधिकृत एवं अप्रशिक्षित नलकारों से जल सम्बन्ध करवाने के कारण विभागीय पाईप लाईन क्षतिग्रस्त होती है एवं विभागीय मापदण्ड के अनुसार जल सम्बन्ध नहीं किए जाते हैं। इससे 'गैर राजस्व जल (NRW) में बढ़ोतरी हुई है एवं जल राजस्व में आशातीत वृद्धि नहीं हो पाई' है। अन्य राज्यों में पंजीकृत नलकार से ही जल सम्बन्ध करवाने के प्रावधान हैं।

राज्य सरकार ने पंजीकृत नलकार व्यवस्था के सम्बन्ध में पुर्णविचार किया है एवं निमानुसार निर्णय लिया है:—

1. सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के जल सम्बन्ध अनिवार्य रूप से पंजीकृत नलकार से ही करवाए जाएंगे।
2. नलकार का पंजीकरण खण्ड कार्यालय (अधिशासी अभियन्ता) में किया जाएगा एवं पंजीकृत नलकार का कार्यक्षेत्र पंजीकरण प्राधिकारी के अधीन क्षेत्र तक सीमित रहेगा।
3. नलकार का पंजीकरण शुल्क/नवीनीकरण शुल्क विभागीय परिपत्र F/FA&CAO/RWSSMB/Mission/14-15/18886-902 दिनांक 31.03.2017 के अनुसार होगा। पंजीकरण अवधि 5 वर्ष तक के लिए मान्य रहेगी। 5 वर्ष की अवधि के उपरान्त निर्धारित शुल्क जमा कराने के उपरान्त पंजीकरण का नवीनीकरण किया जाएगा।
4. आवेदन के साथ नलकार द्वारा रूपये 10,000/- की प्रतिभूति निक्षेप (Security Deposit) एफ.डी.आर. के रूप में पंजीकरण अवधि तक के लिए जमा करवानी होगी।
5. पंजीकरण अवधि में यदि पंजीकृत नलकार अवैध जल सम्बन्ध करते हुए अथवा विभागीय मापदण्ड के अनुसार कार्य करता नहीं पाया गया तो अधिशासी अभियन्ता द्वारा धरोहर राशि जब्त करने एवं पंजीकरण को निररत करने का अधिकार होगा। अधिशासी अभियन्ता के द्वारा की गयी कार्यवाही पर अधीक्षण अभियन्ता प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता

२ अगस्त 2020

द्वितीय अपीलीय अधिकारी होंगे। प्रथम अपील के लिए रूपये 100/- एवं द्वितीय अपील के लिए रूपये 250/- का शुल्क जमा करवाना होगा।

आवेदक के पास निम्न योग्यता होनी अनिवार्य होगी अथवा निम्न योग्यता का व्यक्ति रखना होगा:-

- सिविल इंजिनियरिंग / मैकेनिकल इंजिनियरिंग में ए.आई.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या उच्चतर योग्यता।
या
- इंस्टीट्यूट ऑफ इंजिनियर्स या ए.आई.सी.टी.ई. से नलकारी अथवा सेनेटरी इंजिनियरिंग का प्रमाण-पत्र
या
- आई.टी.आई या राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम से नलकारी अथवा सेनेटरी अथवा फीटर ट्रेड का प्रमाण-पत्र
या
- पंजीकृत नलकार के अधीन 5 वर्ष तक कार्य करने का अनुभव प्रमाण-पत्र

W.M.
(राजेन्द्र शेखर मक्कड़)
आर.ए.एस.
शासन उप सचिव-प्रथम

क्रमांक:एफ.6(10)अमुआ(श) / पीएचईडी / परिपत्र/20-21/20777 - 82 | दिनांक: 14/08/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. विशिष्ट सहायक, मा० मंत्री महोदय, जन स्वा० अभि० विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वा० अभि० विभाग, जयपुर।
3. विशिष्ट शासन सचिव-द्वितीय, जन स्वा० अभि० विभाग, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता (तकनीकी) एवं पदेन त०स०, आरडब्ल्यूएसएसएमबी, जयपुर।
5. मुख्य अभियन्ता (शहरी एवं एनआरडब्ल्यू/ग्रामीण /वि० परियोजना /प्रशासन) / परियोजना जोधपुर/पीएमसी नागौर।
6. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, आरडब्ल्यूएसएसएमबी, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार (मुख्यालय), जन स्वा० अभि० विभाग, जयपुर।
8. सचिव, आरडब्ल्यूएसएसएमबी, जयपुर।
9. अति० मुख्य अभियन्ता, जन स्वा० अभि० विभाग, क्षेत्र.....(समस्त) को देकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त परिपत्र को उनके अधीनरथ समस्त अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ताओं को प्रेषित करतदनुसार कार्यवाही के लिए निर्देशित करें।

W.M.
शासन उप सचिव-प्रथम